

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 4(3)(1)/पंचा/रानिआ/1994/पार्ट-II/ 4795

दिनांक: 13.07.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), (कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम(संशोधन) अधिनियम, 2026 के संबंध में।
संदर्भ:- राजस्थान राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित संदर्भित अधिसूचना दिनांक 25.03.2026 के माध्यम से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 19 में संशोधन कर पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु संतान संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है।

उक्त अधिसूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया समस्त संबंधितों को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

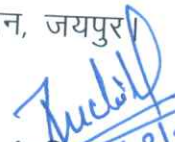

13.07.26
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 13.07.2026

क्रमांक: एफ. 4(3)(1)/पंचा/रानिआ/1994/पार्ट-II/ 4796-4800
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

5. कम्प्यूटर/लेखा/स्टोर/सांख्यिकी शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


13.07.2026
(रुचि अग्रवाल)
उप विधि परामर्शी

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 06, शुक्रवार, १९८६ 1948- मार्च 27, 2026 Chaitra 06, Friday, Saka 1948- March 27, 2026	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2026

संख्या प.2(10)विधि/2/2026.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026

(2026 का अधिनियम संख्यांक 6)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्राप्त हुई)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में,-

- विद्यमान खण्ड (ठ) हटाया जायेगा;
- विद्यमान परन्तुक का खण्ड (iv) हटाया जायेगा; और
- विद्यमान स्पष्टीकरण-I हटाया जायेगा।

राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 25, 2026

No. F. 2(10)Vidhi/2/2026.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (2026 Ka Adhiniyam Sankhyank 6):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2026
(Act No. 6 of 2026)**

(Received the assent of the Governor on the 24th day of March, 2026)

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

- (i) the existing clause (l) shall be deleted;
- (ii) the existing clause (iv) of proviso shall be deleted; and
- (iii) the existing **Explanation-I** shall be deleted.

राघवेन्द्र काछवाल,
Principal Secretary to the Government.